No. 1/4/2015-MC
Government of Haryana
Monitoring & Coordination Cell

Haryana Civil Secretariat
Dated, Chandigarh, the 19th November, 2019

To,

1. All the Administrative Secretaries to Government of Haryana.
2. All the Heads of Departments in Haryana.
3. All the Divisional Commissioners in Haryana.
4. Managing Directors/ Chief Administrators/ Chief Executive Officer of all the Boards, Corporations etc. in Haryana.
5. All the Deputy Commissioners in Haryana.
6. Registrars of all the Universities in Haryana.
7. State Informatics Officer, Haryana State Unit, Chandigarh.

Subject :- **Implementation of DigiLocker in the State of Haryana.**

R/Sir/Madam

I have been directed to address you on the subject cited above and to say that as you are aware that DigiLocker is a key initiative under Digital India Programme, implemented by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide the citizens a cloud platform for issuance and verification of documents/ certificates in digital format.

2. Government of Haryana is also targeting paperless, cashless and faceless governance for the citizens, thus enabling citizens to produce requisite documents anytime, anywhere in legally acceptable electronic form.

3. DigiLocker is a platform to access the documents and certificates issued by an authority and verify the same in a digital way, thus eliminating the use of physical documents. Departments/ Organizations that get registered with DigiLocker as 'Issuer Organisation' can provide electronic copies of documents and certificates issued by them (eg. Driving license, voter ID, certificates/ marks sheets issued by educational institutions and universities, ration card, certificates issued by Revenue department, licenses/ permits issued by various departments, employee identity Cards etc.) directly into citizen's DigiLocker account. Similarly, departments can register as 'Requester Organisation' and integrate their online application with DigiLocker to enable the citizens to fetch supporting documents required for various online applications (eg. application for certificates, licences, jobs, subsidies, pensions, scholarships, admission in schools/colleges etc.) of respective departments, directly from their DigiLocker.

4. Government of India vide notification no. G.S.R 711 (E) dated 21.07.2016, framed Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016 for preservation and retention of information by intermediaries (such as Government departments and agencies) providing Digital Locker facilities. Under these Rules, Government of India constituted Digital Locker Authority on 4 October 2016. The terms "DigiLocker", "Digital Locker", "Digital Locker Authority", and "Digital Locker System" have been defined under clause (f), (g), (h) and (m) respectively of sub-rule (1) of rule (2) of these Rules. Subsequently an amendment to these Rules was issued vide notification no. G.S.R 111 (E) dated 08.02.2017 (copy enclosed). As per Rule 9A of the amended Rules (amended vide notification dated 08.02.2017);

(i) Issuers may start issuing and Requesters may start accepting digitally (or electronically) signed certificates or documents shared from subscribers' Digital Locker accounts at par with the physical documents in accordance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

(ii) When such certificate or document mentioned in (i) above , has been issued or pushed in the Digital Locker System by an issuer and subsequently accessed or accepted by a requester through the URI, it shall be deemed to have been shared by the issuer directly in electronic form.

5. Further, it is observed that despite creditable implementation of e-governance projects and retention of data in digital form, the departments largely rely on physical copies of certificates and documents for delivery of services and benefits to citizens. Availability, accessibility and verification of documents in digital form would be a transformative step in service delivery. In view of above, Government of Haryana intends to implement DigiLocker platform in all Government departments, boards, corporations, autonomous bodies, academic institutions and universities in the State of Haryana, and to give pace to the implementation of DigiLocker in Haryana, Government of Haryana orders following;

i. For providing documents/certificates of the citizens in Digital Locker by the Government departments, boards, corporations, autonomous bodies, academic institutions and universities in the State of Haryana, individual orders/ consent from any other authority is not required.

ii. All departments and agencies, in the State, as stated above, shall register themselves as an "issuer"/ "requester" organisation (as defined under clause (p) and (s) respectively of sub-rule (1) of rule (2) of the Rules) on DigiLocker platform mandatorily according to their requirements and take necessary actions to integrate their web/mobile applications with DigiLocker platform for issuance/ requisition of documents/certificates. Also, departments/agencies shall take necessary steps to digitize legacy data of the documents/ certificates available in the physical form, to make it available on DigiLocker platform. Departments and agencies shall ensure that all documents/ certificates issued in past and to be issued in future, are to be made available on DigiLocker platform to the citizens.

iii. Documents/Certificates made available on DigiLocker platform by issuing Government departments, boards, corporations, autonomous bodies, academic institutions and universities in the State of Haryana etc. shall be treated at par with physical copies that are accepted now. Service rendering departments, inviting online applications from citizens shall accept such documents issued in Digital Locker of the citizen as valid, as specified in the GoI notifications mentioned vide reference para 4 above.

6. Department of Information Technology, Electronics and Communication, Haryana (DITECH) will be the nodal agency for implementing DigiLocker in the State. DITECH will handhold and provide all necessary support to the departments/agencies at all stages from registration to Go-Live of DigiLocker in departments/agencies with the assistance of National eGovernance Division (NeGD), Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.

7. For any further queries, officers from your department may reach out to Nodal Officer of DITECH, Sh. Bhanu Pratap (Sr. Consultant, SeMT) at mobile - 9557354829 / email – bhanu.pratap@semt.gov.in

Yours sincerely,

(Bhupendra Singh)
Deputy Secretary to Govt. Haryana
Monitoring & Coordination Department
E-mail Id: cs.coordination@hry.nic.in

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ़ 30, 1938
No. 503] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ ASADHA 30, 1938

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई , 2016

सा.का.नि. 711(अ).— केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 6क और धारा 67ग के साथ पठित धारा 87 की उपधारा (1) और धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (व क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) "अधिनियम" से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) अभिप्रेत है;

(ख) "एक्सेस गेटवे" से डिजिटल लॉकर प्रणाली के अधीन निधानों को पहुंच का उपबंध करने के लिए प्राधिकृत प्रणाली अभिप्रेत है;

(ग) "अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई)" से नेमी प्रोटोकाल और साफ्टवेयर अनुप्रयोग को तैयार करने के लिए टूल्स अभिप्रेत हैं;

(घ) "निगमित निकाय" से अधिनियम की धारा 43क के स्पष्टीकरण 1 में यथा परिभाषित निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(ङ) "डीईआईटीवाई" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) "डिजीलॉकर" से सरकार के स्वामित्वाधीन और प्रचालनाधीन वेब तथा मोबाइल आधारित डिजिटल लॉकर प्रणाली को होस्ट करना अभिप्रेत है;

(छ) "डिजिटल लॉकर" से अभिदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के परिरक्षण, प्रतिधारण और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की उपयोगकर्ता को प्रदायगी अभिप्रेत है;

(ज) "डिजिटल लॉकर प्राधिकारी" से सरकार द्वारा डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस प्रदान करने, पैनल बनाने और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए उस रूप में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(झ) "डिजिटल लॉकर निदेशिका" से सरकार अथवा डिजिटल लॉकर प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत लॉकर प्रदाताओं, जारीकर्ताओं, अनुरोधकर्ता, निधान और एक्सेस गेटवे उपलब्धकर्ताओं के पंजीकरण और उनके ब्यौरे उपलब्ध कराने का प्रबंध करने वाला वेब पेज अभिप्रेत है;

(ञ) "डिजिटल लॉकर पोर्टल" से डिजिटल लॉकर प्रणाली के अधीन दस्तावेजों तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच का उपबंध करने के लिए वेब और मोबाइल आधारित प्रणाली अभिप्रेत है;

(ट) "डिजिटल लॉकर प्रैक्टिस विवरण" से प्रदाता द्वारा प्रस्तावित की जा रही सेवाओं और सेवाओं के प्रवाह का विवरण करते हुए डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता द्वारा विवरण अभिप्रेत है;

(ठ) "डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता" से इन नियमों के अनुसरण में डिजिटल लॉकर, एक्सेस गेटवे और, या इलेक्ट्रॉनिकी रूप से निधान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत कोई निगमित निकाय या समुचित सरकार का कोई अभिकरण जैसा सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, है;

(ड) "डिजिटल लॉकर प्रणाली" से प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं की सहायता से डिजिटल लॉकर, एक्सेस गेटवे और, या निधान सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुप्रयोग आधारित प्रणाली अभिप्रेत है;

(ढ) "समतुल्य अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख" से डिजिटल लॉकर मानक मार्गदर्शक सिद्धांत के अधीन यथाविहित अंकीय हस्ताक्षरों से भिन्न अन्य साधनों द्वारा अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अभिप्रेत है;

(ण) "सरकार" से केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(त) "जारीकर्ता" से डिजिटल लॉकर प्रणाली के अधीन अभिदायकर्ता को अंकीय रूप से हस्ताक्षरित या समतुल्य अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जारी करने वाला राज्य या केंद्रीय विभाग या अभिकरण या निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(थ) "अनुज्ञप्ति" से डिजिटल लॉकर प्राधिकारी और कोई डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता के बीच बाध्यकर करार अभिप्रेत है;

(द) "निधान" से, जिसका ऐसे अभिलेखों तक पहुंच और उपयोगकर्ताओं को उनकी प्रदायगी के प्रयोजन के लिए डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता या किसी जारीकर्ता द्वारा रखे गए अंकीय हस्ताक्षरित और, या डिजीटलाइजड इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक निधान अभिप्रेत है;

(ध) "अनुरोधकर्ता" से अभिदाता के अंकीय रूप से हस्ताक्षरित या समतुल्य अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिन्हें डिजिटल लॉकर प्रणाली के अधीन सृजित और प्रबंध किए जा रहे निधान में परिरक्षित और प्रतिधारित किया जा रहा है, तक पहुंच के लिए अनुरोध करने वाला कोई राज्य या केंद्रीय विभाग या अभिकरण या निगमित निकाय अभिप्रेत है;

(न) "अभिदाता" से डिजिटल लॉकर प्रणाली के अधीन किसी डिजिटल लॉकर का अभिदाता अभिप्रेत है;

(प) "यूनिफोर्म रिसोर्स आईडेंटिफायर (यूआरआई)" से डिजिटल लॉकर निधान में भंडारित किए गए किसी दस्तावेज के प्रति विशिष्ट निर्देश अभिप्रेत है;

(फ) "उपयोगकर्ता" से डिजिटल लॉकर प्रणाली का अभिदाता, जारीकर्ता या अनुरोधकर्ता अभिप्रेत है।

(2) वे शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम और तदधीन बनाए गए विभिन्न नियमों में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो क्रमश: उनका अधिनियम और उक्त नियमों में है।

3. डिजिटल लॉकर प्राधिकारी की नियुक्ति: (1) सरकार, डिजिटल लॉकर के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सेवाओं की दक्ष डिलीवरी के लिए सूचना के परिरक्षण और प्रतिधारण के लिए डिजिटल लॉकर प्रणाली की स्थापना, प्रशासन और प्रबंधन के लिए डिजिटल लॉकर प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी।

(2) डिजिटल लॉकर प्राधिकारी डीईआईटीवाई के साधारण नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन यथा अधिसूचित अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(3) डिजिटल लॉकर प्राधिकारी इन नियमों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल लॉकर, एक्सेस गेटवे और, या, निधान सुविधा का उपबंध करने के लिए डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता को प्राधिकृत करेगा।

4. डिजिटल लॉकर प्रणाली – (1) मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले, मुद्रण योग्य, बांटे जा सकने वाले, सत्यापनीय और सुरक्षित तथा राज्य या केंद्रीय विभाग या अभिकरण या निगमित निकाय द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के परिरक्षण और प्रतिधारण के प्रयोजन के लिए सरकार और अन्य सेवा प्रदाता सभी उपयोगकर्ताओं को सीमित इलेक्ट्रॉनिक भंडारण के लिए डिजिटल लॉकर प्रणाली उपलब्ध कराएंगे।

(2) सरकार डिजिटल लॉकर प्राधिकारी के माध्यम से और समय-समय पर डीईआईटीवाई द्वारा अधिकथित तकनीकी मानकों के अनुसार डिजिटल लॉकर प्रणाली के प्रशासन का उपबंध करेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन रहते हुए डिजिटल लॉकर प्रणाली विहित प्ररूप में राज्य या केंद्रीय विभाग या अभिकरण या निगमित निकाय द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिकी अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए डिजिटल लॉकर प्रणाली वेब और मोबाइल आधारित पोर्टल डिजिटल लॉकर पोर्टल के रूप में कृत्य करेगा।

5. डिजिटल लॉकर प्रणाली का प्रचालन – (1) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है, प्राधिकृत डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता को सम्यकत: विहित आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् डिजिटल लॉकर खोलने और उस तक पहुंच बनाने में समर्थ हो सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति लॉकर, गेटवे और निधान सेवाओं तक वेब या मोबाइल आधारित डिजिटल लॉकर पोर्टल का उपयोग करते हुए पहुंच बनाने के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्त या पैनलबद्ध डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाताओं की सेवाओं को अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(3) डिजिटल लॉकर पोर्टल निधानों तक पहुंच और गेटवे तक पहुंच जारीकर्ताओं को अंकीय रूप से हस्ताक्षरित या समतुल्यता अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तक क्रमश: पहुंच के लिए अध्यपेक्षा वास्तविक समय में समान रूप से उपलब्ध कराएगा ।

(4) डिजिटल लॉकर निदेशिका निम्नलिखित ब्यौरों को उपलब्ध कराएगी, अर्थात् :--

(क) जारीकताओं, अनुरोधकर्ताओं, लॉकर प्रदाताओं, निधान प्रदाताओं और गेटवे प्रदाताओं के लिए पंजीकरण सुविधा;

(ख) जारीकर्ता (नाम, पहचान, रजिस्ट्रीकरण तारीख, संपर्क के ब्यौरे), अनुरोधकर्ता पहचान (नाम, पहचान, रजिस्ट्रीकरण तारीख, संपर्क के ब्यौरे), गेटवे आईडी (नाम, पहचान, रजिस्ट्रीकरण तारीख, संपर्क के ब्यौरे) और निधान (नाम, पहचान, रजिस्ट्रीकरण तारीख, संपर्क के ब्यौरे);

(ग) मानक, आवेदन प्ररूप और अन्य विशिष्टियां;

(घ) अनुरोध, अनुमोदन का इलेक्ट्रॉनिकी कार्य प्रवाह और यथास्थिति, नए जारीकर्ताओं, गेटवे तथा निधानों को नई पहचान; और

(ड.) सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य सूचना ।

6. सुविधाओं की अवस्थिति -- डिजिटल लॉकर प्रणाली के सभी कृत्यों से सहबद्ध अवसंरचना के साथ-साथ डिजिटल लॉकर प्रणाली की प्रास्थिति के संबंध में सूचना अंतर्विष्ट करने वाली निदेशिकाओं का अनुरक्षण भारत में किसी अवस्थान पर प्रतिष्ठापित किया जाएगा ।

7. अभिदाता द्वारा डिजिटल लॉकर प्रणाली के उपयोग की रीति -- किसी डिजिटल लॉकर का उपयोग अभिदाता द्वारा निम्नलिखित के लिए किया जाएगा,--

(क) वेब या मोबाइल आधारित डिजिटल लॉकर पोर्टल पर पहुंच बनाना और डिजिटल लॉकर के लिए रजिस्टर करना;

(ख) डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता द्वारा यथा उपबंधित डिजिटल लॉकर में दस्तावेजों को अपलोड करना या जैसा भी मामला हो, अपलोड किए गए दस्तावेजों पर अंकीय रूप से हस्ताक्षर करना;

(ग) डिजिटल लॉकर खाते में उपलब्ध दस्तावेज यूआरआई का उपयोग करते हुए जारीकर्ताओं से दस्तावेजों की पहुंच;

(घ) विशिष्ट दस्तावेज यूआरआई उपलब्ध कराके राज्य या केंद्रीय विभाग या अभिकरण या निगमित निकाय द्वारा जारी अभिलेखों तक अनुरोधकर्ता को पहुंच बनाने के लिए पहुंच अनुदत्त करना; और

(ङ) दस्तावेज यूआरआई जमा करने के लिए जारीकर्ता और दस्तावेजों तक अभिगम करने के लिए अनुरोधकर्ता को सहमति उपलब्ध कराना ।

8. वह रीति, जिसमें डिजिटल लॉकर प्रणाली का अनुरोधकर्ता द्वारा उपयोग किया जाएगा - किसी डिजिटल लॉकर का अनुरोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा,--

(क) डिजिटल लॉकर निर्देशिका पर पंजीकरण;

(ख) अभिदाता द्वारा डिजिटल लॉकर पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का अभिगम;

(ग) निधानों में भंडारित दस्तावेजों तक पहुंच के लिए प्राधिकृत गेटवे उपबंधकर्ताओं का उपयोग;

(घ) यूआरआई के आधार पर अभिदाता के राज्य या केंद्रीय विभाग या अभिकरण या निगमित निकाय द्वारा जारी दस्तावेजों तक पहुंच; और

(ङ.) अभिदाता के डिजिटल लॉकर खाते में उपलब्ध दस्तावेजों का अभिगम करने या उन तक पहुंच बनाने के लिए अभिदाता से सहमति।

9. वह रीति, जिसमें डिजिटल लॉकर प्रणाली का जारीकर्ता द्वारा उपयोग किया जाएगा -डिजिटल लॉकर का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा--

(क) डिजिटल लॉकर निर्देशिका पर पंजीकरण करने के लिए;

(ख) समुचित सरकार द्वारा यथाविहित प्ररूप में नए डिजिटल अभिलेखों को जारी करने के लिए;

(ग) अभिदाता को पुराने डिजीटाइजड अभिलेखों को उपलब्ध कराना, जो सत्यापनीय, बांटे जा सकने वाले, पहुंचनीय और मुद्रण योग्य हैं;

(घ) किसी अन्य डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता को उसके दस्तावेजों तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सहमति देना; और

(ङ) जारी किए गए अभिलेखों को परिरक्षित और प्रतिधारित करने के लिए अपने स्वयं के निधान अथवा प्राधिकृत निधान सेवा प्रदाता से जारीकर्ता के रूप में किसी निधान का चयन ;

(च) एकीकृत इंटरफेस का निम्नलिखित में से किसी के लिए उपयोग—

(i) यूआरआई को डिजिटल लॉकर के लिए पुश करना: उनके निधानों में उपलब्ध सभी अभिलेखों के यूआरआई को पुश करना ताकि उनका अभिदाता के लिए प्रदर्शन किया जा सके, जिससे अभिदाता को अधिसूचित किया जा सके कि जारीकर्ता के पास अभिदाता के लेखे से जुड़े हुए निम्नलिखित दस्तावेज हैं;

(ii) यूआरआई को पुल करना : अभिदाता को जारीकर्ता निधान को अभिदाता के जारीकर्ता संगठन को लागू पहचानकर्ता को उपलब्ध कराके क्वारी करने के लिए अनुज्ञात करना ताकि जारीकर्ता को अभिदाता द्वारा प्रस्तुत पहचानकर्ताओं से जुड़े हुए सभी अभिलेखों के यूआरआई को उपलब्ध कराने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

10. डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाताओं की भूमिका – (1) डिजिटल लॉकर प्रणाली को निम्नलिखित डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाताओं द्वारा समर्थित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) डिजिटल लॉकर पोर्टल;

(ख) निधान; और

(ग) एक्सेस गेटवे।

(2) सरकार या डिजिटल लॉकर प्राधिकारी सेवा प्रदाताओं को अंशदाताओं, जारीकर्ताओं और अनुरोधकर्ताओं के फायदे के लिए डिजिटल लॉकर पोर्टल, एक्सेस गेटवे या डिजिटल लॉकर प्रणाली के दक्ष उपयोग के लिए डिजिटल लॉकर पोर्टल स्थापित करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(3) प्रत्येक प्राधिकृत सेवा प्रदाता बाध्यकर प्राधिकरण निबंधनों, जिसके अंतर्गत सरकार या डिजिटल लॉकर प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित मानक, मार्गदर्शक सिद्धांत और विशिष्टियां है, की पुष्टि और अनुपालन करेगा।

11. डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता द्वारा अधिनियम आदि की अनुपालना का सुनिश्चय करना -- प्रत्येक डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित या अन्यथा उसके साथ लगा हुआ या सहबद्ध प्रत्येक व्यक्ति ऐसे नियोजन या लगे हुए के अनुक्रम में इस अधिनियम, नियमों, विनियमों और तदधीन किए गए आदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

12. विवाद समाधान के लिए डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता द्वारा शिकायत अधिकारी की नियुक्ति -- (1) प्रत्येक डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी का नाम उसके संपर्क के ब्यौरों के साथ उस तंत्र को प्रकाशित करेगा, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता या व्यथित व्यक्ति, जो निम्नलिखित के परिणामस्वरूप क्षति उठाते हैं,--

(i) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल लॉकर या डिजिटल लॉकर प्रणाली तक पहुंच या उपयोग; या

(ii) प्राधिकरण निबंधनों का उल्लंघन,

वे अपनी शिकायतों को ऐसी पहुंच या उपयोग या अनुज्ञापन निबंधनों के उल्लंघन से ऐसे शिकायत अधिकारी को अधिसूचित कर सकेंगे।

(2) शिकायत अधिकारी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान करेगा।

13. डिजिटल लॉकर खाते का निलंबन और प्रत्याहरण - (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता, जिसने डिजिटल लॉकर खाता उपलब्ध कराया है, निम्नलिखित के मद्देनजर ऐसे डिजिटल लॉकर को निलंबित कर सकेगा,--

(क) निम्नलिखित से इस प्रभाव के अनुरोध की प्राप्ति पर—

(i) डिजिटल लॉकर खाते में सूचीबद्ध अभिदाता; या

(ii) उस अभिदाता के निमित्त कृत्य करने के लिए सम्यकत: प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;

(ख) यदि डिजिटल लॉकर प्राधिकारी की यह राय है कि अभिदाता के डिजिटल लॉकर खाते को लोक हित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

(2) किसी डिजिटल लॉकर खाते को 30 दिन से अनधिक अवधि के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा सिवाय तब जब अभिदाता को उस मामले में सुने जाने का अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(3) इन नियमों के अधीन किसी डिजिटल लॉकर खाते के निलंबन पर डिजिटल लॉकर सेवा प्रदाता उसकी संसूचना अभिदाता और अन्य उपयोगकर्ताओं को देगा।

स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजन के लिए किसी डिजिटल लॉकर अभिदाता के खाते के निलंबन का यह अर्थ है कि न तो अनुरोधकर्ता न ही जारीकर्ता ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता के खाते तक पहुंच बनाने में समर्थ होगा।